

प्रेषक,

सुबद्धन,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

देहरादूनः दिनांक ७ जुलाई, 2012

विषय:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के द्वितीय त्रैमास के माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2012 हेतु मासिक मिट्टी तेल का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं P-21016/03/2012, दिनांक 02 जुलाई 2012 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं- जी० आई० -४१ / २९ -७ -५३ (के०आ०) दिनांक ०९ जुलाई, १९९० में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए वर्ष 2012-13 के द्वितीय त्रैमास के माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2012 हेतु जनपदवार/कम्पनीवार/थोक मिट्टी तेल विक्रेतावार उपभोक्ताओं को मासिक आवंटन संलग्नक-१, २ एवं ३ में उल्लिखित मात्रानुसार कुल ३००२ के०ए८० मासिक मिट्टी तेल का आवंटन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रत्येक जनपद के समुख स्टैण्डर्ड आवंटन के अन्तर्गत जो मात्रा दी जा रही है वह केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दुकानदारों के माध्यम से राशन कार्ड पर निर्धारित दर में नियमानुसार वितरित की जायेगी। इस मात्रा को किसी भी स्थिति में किसी अन्य प्रयोजनों में नहीं लाया जायेगा।

2. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए जहां कही आवश्यकता हो एक स्पेशल कोटे के तहत छात्रों/छात्रावासों, शिक्षण संस्थाओं, विवाह, अन्त्योष्टि, ईट भट्ठे में कार्यरत मजदूरों तथा सरकारी उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार आवंटन किया जायेगा जिसकी सूचना जिलाधिकारी द्वारा शासन को उपलब्ध करानी होगी।
3. जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा "श्री स्टेज चैकिंग" करायी जायेगी। किसी भी दशा में मिट्टी तेल का डाइवर्जन/अपमिश्रण न हो, जिसका विशेष ध्यान रखा जायेगा।
4. मिट्टी तेल का शतप्रतिशत सही वितरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा एल०पी०जी० कनेक्शनधारी (सिंगल बॉटल) राशनकार्ड धारकों को भारत सरकार से, मिट्टी तेल का कम आवंटन प्राप्त होने के दृष्टिगत मिट्टी तेल अनुमन्य नहीं किया जायेगा। बिना एल०पी०जी० कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को ०५ लीटर प्रति राशन कार्ड मैदानी क्षेत्र में तथा ०७ लीटर, प्रति राशन कार्ड पर्वतीय जनपदों में मिट्टी तेल वितरित किया जायेगा। डी०बी०सी० कनेक्शनधारी के राशनकार्ड पर मिट्टी का तेल अनुमन्य नहीं होगा।
5. जिलाधिकारी अपने जनपद में मिट्टी तेल की मांग/उपलब्धता/आपूर्ति को देखते हुये व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखेंगे। माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2012 हेतु आवंटित मिट्टी तेल में से आई०आ०सी० का ३४ के०ए८० प्रतिमाह की दर से १०२ के०ए८० मिट्टी तेल रिजर्व में रखा गया है, जिसे पृथक से आवंटित किया जायेगा।
6. एजेंसीवार वितरण में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होने की दशा में जिलाधिकारी अपना प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित तत्काल शासन को उपलब्ध कराएं ताकि आगामी माहों में तदनुसार परिवर्तन किया जा सकें।
7. द्वितीय त्रैमास के माह जुलाई, हेतु आवंटित मिट्टी तेल का उठान १५ अगस्त 2012 एवं अगस्त तथा सितम्बर 2012 हेतु आवंटित, मिट्टी तेल का उठान/वितरण उसी माह की अन्तिम तिथि तक प्रत्येक दशा में कर लिया जाय।

३६८

8. आवंटित की गई मात्रा के मिट्टी तेल को इसी माह में उठान के लिए तत्काल एजेन्सी/डीलर को निर्देश जारी कर दिये जायें। आवंटित तेल की मात्रा का साथ उठान सुनिश्चित कराया जाय।

9. किन्हीं एजेन्सियों द्वारा उठान न किये जाने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह राज्य को आवंटित मिट्टी का तेल के कोटे में निरन्तर कटौती कर रही है। इसके दृष्टिगत जिला पूर्ति अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने स्तर से यह अनुश्रवण कर लें कि ऐसी कितनी एजेन्सियां हैं, जो विगत 03 माह से आवंटित कोटे का उठान नहीं कर पा रही हैं।

#### संलग्नक—यथोपरि

भवदीय,  
(सुबद्धन)  
सचिव

संख्या: 1295 (1) / XIX / मि०ते०आवं० / 2011–112 / खाद्य / 2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उप सचिव, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
5. राज्य स्तरीय समन्वयक उत्तराखण्ड, आई०आ०सी० देहरादून/बरेली को जनपदवार/एजेंसीवार/थोक विक्रेतावार मिट्टी तेल के आवंटन के प्रति संलग्न करते हुये इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित तेल डिपो तथा सम्बन्धित तेल कम्पनी को आवंटन के अनुसार मिट्टी तेल उपलब्ध कराने का निर्देश करना सुनिश्चित करें।
6. एरिया मैनेजर, आई०आ०सी०, बी०पी०सी०, एच०पी०सी० कम्पनी उत्तराखण्ड।
7. संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल/कुमाऊं संभाग हल्द्वानी/देहरादून।
8. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सहायक आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/हल्द्वानी।
10. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निजी सचिव, मा०मंत्री जी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
12. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
13. समन्वयक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. सेल्स मैनेजर, आई०आ०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(सुबद्धन)  
सचिव

जनपदवार आवंटन, माह, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2012

जिला कोड	जिलो का नाम	मासिक आवंटन	BPC	HPC	IOC
1	उत्तरकाशी	138	44	-	94
2	चमोली	174	-	-	174
3	रुद्रप्रयाग	84	-	-	84
4	टिहरी गढ़वाल	184	-	-	184
5	देहरादून	386	12	96	278
6	पौड़ी गढ़वाल	297	-	-	297
7	पिथौरागढ़	216	36	18	162
8	बागेश्वर	70	70	-	-
9	अल्मोड़ा	238	-	48	190
10	चम्पावत	82	9	-	73
11	नैनीताल	379	33	72	274
12	उथमसिहं नगर	392	132	32	228
13	हरिद्वार	362	60	82	220
	कुल योग	<b>3002</b>	<b>396</b>	<b>348</b>	<b>2258</b>

३०  
 (सुबद्धन)  
 सचिव।

सेवा में

समाज सेवक अधिकारी  
उपराज्यपाल

खाद्य एवं जल सेवक आपूर्ति विभाग

दहरादूर: दिनांक 22 जून, 2012

विषय:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के प्रथम त्रिमास के माह अप्रैल, मई एवं जून 2012 हेतु शासिक मिट्टी तेल का अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

उपराज्यकारी विपद्धक, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 P-4162/एस०एस०एस० दिनांक 05 जून 2012 के संबंध में मुझे यह कहा कि इन्हम हुआ है कि शासनादेश सं0- जी० ३०८० -५१ / २९ -७ -५३ (के०आ०) दिनांक 09 जुलाई, 1990 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए वर्ष 2012-13 के प्रथम त्रिमास के माह अप्रैल, मई एवं जून 2012 हेतु अतिरिक्त आवंटन का जनपदवार/क्षेत्रपाल/धारक मिट्टी तेल विक्रेतावार-उपभोक्ताओं को शासिक आवंटन संलग्नक-1, 2 एवं 3 में उल्लिखित भाजानुसार कुल ६३४ के०एल० मार्शिक की दर से कुल 1512 के०एल० मिट्टी तेल का आवंटन किया जा रहा है। इस प्रक्रम, में प्रत्येक जनपद के समुख स्टैण्डर्ड आवंटन के अन्तर्गत जो मात्रा दी जा रही है वह केवल वहाँ के उपभोक्ताओं के अन्तर्गत उकानपारों के माध्यम से राशन फ़ार्ड पर निर्धारित दर में नियमानुसार दिलाई जायेगा। इस मात्रा की किसी भी रिचर्टि में वित्ती अन्दर प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।

2. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए जहाँ कही आवश्यकता हो, एक स्पेशल कोटे के तहत छात्रों/छात्राओं, शिक्षण संस्थाओं, विवाह, अन्त्योष्टि, ईट भट्ठे में कार्यक्रम सजदूरों तथा सरकारी उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार आवंटन किया जायेगा जिसकी सूचना जिलाधिकारी द्वारा शासन को सपलब्ध करानी होगी।

3. जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा "थ्री स्टेज चैकिंग" कराई जाएगी। किसी भी दशा में मिट्टी तेल का डाइवर्जन/अपमिश्रण न हो, जिसका विशेष ध्यान रखा जायेगा।

4. मिट्टी तेल का शतप्रतिशत सही वितरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा एल०पी०जी० कनेक्शनधारी (सिंगल बॉटल) राशनकार्ड धारकों को भारत सरकार से, मिट्टी तेल का कम आवंटन प्राप्त होने के दृष्टिगत मिट्टी तेल अनुमत्य नहीं किया जायेगा। बिना एल०पी०जी० कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को 05 लीटर प्रति राशन कार्ड मैदानी क्षेत्र में तथा 07 लीटर, प्रति राशन कार्ड पर्वतीय जनपदों में मिट्टी तेल वितरित किया जायेगा। डी०ली०र्सी० कनेक्शनधारी के राशनकार्डों पर मिट्टी का तेल अनुमत्य नहीं होगा।

5. जिलाधिकारी अपने जनपद में मिट्टी तेल की मांग/उपलब्धता/आपूर्ति को देखते हुये व्यवस्था पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखेंगे।

6. पैनीसांवार वितरण में परिवर्तन की आवश्यकता अनुशव होने की दशा में जिलाधिकारी अपना प्रस्ताव पूर्ण औचित्य राहिया तरंगत शासन को उपलब्ध कराएं ताकि आगामी माहों वें तदनुसार पारंपर्वतन किया जा सके।

7. प्रथम त्रिमास, अप्रैल, मई एवं जून 2012 हेतु अतिरिक्त आवंटित, मिट्टी तेल का उठान/वितरण माह 31 जुलाई 2012 तक प्रत्येक दशा में कर लिया जाय।

8. आवंटित की गई मात्रा के मिट्टी तेल को इसी माह में उठान के लिए तत्काल एजेन्सी/डीलर को निर्देश जारी कर दिये जायें। आवंटित तेल की मात्रा का साथ उठान सुनिश्चित कराया जाय।

9. किन्हीं एजेन्सियों द्वारा उठान न किये जाने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह राज्य को आवंटित मिट्टी का तेल के कोटे में निरन्तर कटौती कर रही है। इसके दृष्टिगत जिला पूर्ति अधिकारी सुनिश्चित

करेंगे कि वे अपने स्तर से यह अनुश्रवण कर लें कि ऐसी कितनी एजेसिया हैं, जो विगत 03 माह से आवंटित कोटे का उठान नहीं कर पा रही हैं।

### संलग्नक—यथोपरि

भवद्वय

( राजेन्द्र सिंह )  
उप सचिव

संख्या १६२(१)/XLIX/नियंत्रिति/२०११-१२/खाद्य/२००२ तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को शुल्क सम्बन्धीय भवद्वयक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. गिदेशक, पैट्रोलिन, १०० प्र०पी०५० पौरा गंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उप सचिव, पैट्रोलिन, १०० प्र०पी०५० पौरा गंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, खाद्य एवं विकास अधिकारी प्रभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊ नण्डल पौड़ी/नैनीताल।
5. राज्य स्तरीय समन्वयक उत्तराखण्ड, आई०आ००सी० देहरादून/बरेली को जनपदवार/एजेंसीवार/थोक विक्रेतावार मिट्टी तेल के आवंटन के प्रति संलग्न करते हुये इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित तेल डिपो तथा सम्बन्धित तेल कम्पनी को अतिरिक्त आवंटन के अनुसार मिट्टी तेल उपलब्ध कराने साथ ही पूर्व में माह अप्रैल, मई एवं जून 2012 में आवंटित मिट्टी तेल का अप्रैल, मई में टैक लोडिंग की हडताल क कारण उठान नहीं हो पाया। अतः अप्रैल मई के कोटे का उठान जून 2012 में कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. एरिया मैनेजर, आई०आ००सी०, बी०पी०सी०, एच०पी०सी० कम्पनी उत्तराखण्ड।
7. संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल/कुमाऊ संभाग हल्द्वानी/देहरादून।
8. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सहायक आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ नण्डल, पौड़ी/हल्द्वानी।
10. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निजी संचय, मामंत्री जी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
12. महानिदेशक रक्षणा एवं लोक समर्पण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
13. समन्वयक एन०आ०५०सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. सेल्स मैनेजर, आई०आ००सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( राजेन्द्र सिंह )  
उप सचिव।

जनपदवार अतिरिक्त आवंटन, मा. क्रेस्ट, मई एवं जून 2012

क्रमी.	जिले का नाम	मासिक आवंटन	BP	HPC	IOC
1	उत्तरकाशी	78	24	-	54
2	चमोली	100	-	-	100
3	रुद्रप्रयाग	40	-	-	40
4	टिहरी गढ़वाल	80	-	-	80
5	देहरादून	160	10	40	110
6	पौड़ी गढ़वाल	200	-	-	200
7	पिथौरागढ़	110	30	10	70
8	बागेश्वर	30	30	-	-
9	अल्मोड़ा	126	-	10	116
10	राज्य उत्तर	100	16	-	90
11	कामोली	190	26	33	140
12	उत्तराखण्ड नगर	170	34	58	80
13	सर्रहद	128	36	34	60
	कुल योग	1512	192	180	1140

(राजेन्द्र सिंह)  
उप सचिव

प्रेषक,

सुबद्धन,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

देहरादून: १७ दिनांक मई, 2012

विषय:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई एवं जून 2012 हेतु मासिक मिट्टी तेल का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं० P-4192/एस०के०ओ०, दिनांक 31 मार्च 2012 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०- जी० आई० -41 / 29 -7 -53 (के०ओ०) दिनांक 09 जुलाई, 1990 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए वर्ष 2012-13 के प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई एवं जून 2012 हेतु जनपदवार/कम्पनीवार/थोक मिट्टी तेल विक्रेतावार उपभोक्ताओं को मासिक आवंटन संलग्नक-1, 2 एवं 3 में उल्लिखित मात्रानुसार कुल 2952 के०एल० मासिक मिट्टी तेल का आवंटन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रत्येक जनपद के सम्मुख स्टैण्डर्ड आवंटन के अन्तर्गत जो मात्रा दी जा रही है वह केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दुकानदारों के माध्यम से राशन कार्ड पर निर्धारित दर में नियमानुसार वितरित की जायेगी। इस मात्रा को किसी भी रिथति में किसी अन्य प्रयोजनों में नहीं लाया जायेगा।

2. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए जहां कही आवश्यकता हो एक स्पेशल कोटे के तहत छात्रों/छात्रावासों, शिक्षण संस्थाओं, विवाह, अन्त्योष्ठि, ईट भट्ठे में कार्यरत मजदूरों तथा सरकारी उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार आवंटन किया जायेगा जिसकी सूचना जिलाधिकारी द्वारा शासन को उपलब्ध करानी होगी।

3. जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा "थ्री स्टेज चैकिंग" करायी जायेगी। किसी भी दशा में मिट्टी तेल का डाइवर्जन/अपमिश्रण न हो, जिसका विशेष ध्यान रखा जायेगा।

4. मिट्टी तेल का शतप्रतिशत सही वितरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा एल०पी०जी० कनेक्शनधारी (सिंगल बॉटल) राशनकार्ड धारकों को भारत सरकार से, मिट्टी तेल का कम आवंटन प्राप्त होने के दृष्टिगत मिट्टी तेल अनुमन्य नहीं किया जायेगा। बिना एल०पी०जी० कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को 05 लीटर प्रति राशन कार्ड मैदानी क्षेत्र में तथा 07 लीटर, प्रति राशन कार्ड पर्वतीय जनपदों में मिट्टी तेल वितरित किया जायेगा। डी०बी०सी० कनेक्शनधारी के राशनकार्डों पर मिट्टी का तेल अनुमन्य नहीं होगा।

5. जिलाधिकारी अपने जनपद में मिट्टी तेल की मांग/उपलब्धता/आपूर्ति को देखते हुये व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखेंगे। माह अप्रैल, मई एवं जून 2012 हेतु आवंटित मिट्टी तेल में से बी०पी०सी० का 19 के०एल० प्रतिमाह की दर से 57 के०एल० तथा आई०ओ०सी० का 65 के०एल० प्रतिमाह की दर से 195 के०एल० मिट्टी तेल रिजर्व में रखा गया है, जिसे पृथक से आवंटित किया जायेगा।

6. एजेंसीवार वितरण में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होने की दशा में जिलाधिकारी अपना प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित तत्काल शासन को उपलब्ध कराएं ताकि आगामी माहों में तदनुसार परिवर्तन किया जा सके।

7. प्रथम त्रैमास, अप्रैल, मई एवं जून 2012 हेतु आवंटित, मिट्टी तेल का उठान/वितरण उसी माह की अन्तिम तिथि तक प्रत्येक दशा में कर लिया जाय।

8. आवंटित की गई मात्रा के मिट्टी तेल को इसी माह में उठान के लिए तत्काल एजेन्सी/डीलर को निर्देश जारी कर दिये जायें। आवंटित तेल की मात्रा का साथ उठान सुनिश्चित कराया जाय।

9. किन्हीं एजेन्सियों द्वारा उठान न किये जाने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह राज्य को करेंगे कि वे अपने स्तर से यह अनुश्रवण कर लें कि ऐसी कितनी एजेंसिया हैं, जो विगत 03 माह से आवंटित कोटे का उठान नहीं कर पा रही हैं।

### संलग्नक—यथोपरि

भूवदीय,  
१८/६  
(सुबर्द्धन)  
सचिव १८/६

संख्या: 753 (1) / XIX / मि०ते०आवं० / 2011–112 / खाद्य / 2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—


1. निदेशक, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उप सचिव, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
5. राज्य स्तरीय समन्वयक उत्तराखण्ड, आई०आ०सी० देहरादून/बरेली को जनपदवार/एजेंसीवार/थोक विक्रेतावार मिट्टी तेल के आवंटन के प्रति संलग्न करते हुये इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित तेल डिपो तथा सम्बन्धित तेल कम्पनी को आवंटन के अनुसार मिट्टी तेल उपलब्ध कराने का निर्देश करना सुनिश्चित करें।
6. एरिया मैनेजर, आई०आ०सी०, बी०पी०सी०, एच०पी०सी० कम्पनी उत्तराखण्ड।
7. संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल/कुमाऊ संभाग हल्द्वानी/देहरादून।
8. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सहायक आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/हल्द्वानी।
10. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निजी सचिव, मा०मंत्री जी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
12. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
13. समन्वयक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. सेल्स मैनेजर, आई०आ०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

।  
(सुबर्द्धन)  
सचिव

जनपदवार आवंटन, माह, अप्रैल, मई एंव जून 2012

जिला कोड	ज़िले का नाम	मासिक आवंटन	BPC	HPC	IOC
1	उत्तरकाशी	112	12	-	100
2	चमोली	160	-	-	160
3	रुद्रप्रयाग	84	-	-	84
4	टिहरी गढ़वाल	188	-	-	188
5	देहरादून	378	14	100	264
6	पौड़ी गढ़वाल	283	-	-	283
7	पिथौरागढ़	193	27	18	148
8	बागेश्वर	75	75	-	-
9	अल्मोड़ा	248	-	48	200
10	चम्पावत	78	12	-	66
11	नैनीताल	381	33	70	278
12	उधमसिंह नगर	390	134	20	236
13	हरिद्वार	382	70	92	220
	कुल योग	2952	377	348	2227

  
 (सुबद्धन)  
 सचिव । १५६१८